

भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 5041

दिनांक 01 अप्रैल, 2025 / 11 चैत्र, 1947 (शक) को उत्तर के लिए

जम्मू-कश्मीर में नई अपराध विधि

5041. श्री तापिर गावः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जम्मू-कश्मीर में अप्रैल 2025 तक तीन नई अपराध विधियों का पूर्ण कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं;

(ख) पुलिस कर्मियों, न्यायिक अधिकारियों और प्रशासनिक कर्मचारियों को नई अपराध विधियों में प्रशिक्षित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं और अब तक कितने अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया है; और

(ग) क्या नई अपराध विधियों की प्रगति की साप्ताहिक और मासिक आधार पर निगरानी करने के लिए तंत्र स्थापित किया गया है और क्या इन समीक्षाओं की रिपोर्ट सार्वजनिक की जाएगी?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री नित्यानंद राय)

(क): जम्मू-कश्मीर में तीन नई अपराध विधियों के पूर्ण कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

- i. जम्मू-कश्मीर के मुख्य सचिव के अधीन एक संचालन समिति और जम्मू-कश्मीर के पुलिस महानिदेशक के अधीन एक अधिकार प्राप्त समिति का गठन किया गया है।
- ii. प्रशिक्षण कार्यक्रम पुलिस अकादमी, पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों, जिला पुलिस लाइनों और बटालियन प्रशिक्षण केंद्रों में आयोजित किए जाते हैं। नई अपराध विधियों का उर्दू, डोगरी और कश्मीरी भाषाओं में अनुवाद पूरा हो चुका है।

iii. जम्मू-कश्मीर पुलिस, जम्मू-कश्मीर सरकार के अन्य विभागों के साथ मिलकर हर महीने के दूसरे और चौथे सप्ताह में सभी 282 ब्लॉकों में संयुक्त जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर रही है।

iv. जम्मू-कश्मीर पुलिस के आईओ के लिए ई-साक्ष्य (ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग एप्लीकेशन) सहित सभी अपराध और अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम (सीसीटीएनएस) पैच, ई-समन/एसएमएस/ईमेल भेजना कार्यात्मक बना दिया गया है।

v. तीन अपराध विधियों के संबंध में सभी आवश्यक नियम, अधिसूचनाएं और प्रशासनिक आदेश जारी किए गए हैं।

(ख): तीन नई अपराध विधियों पर नियमित प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। अब तक जम्मू-कश्मीर पुलिस के तहत 975 राजपत्रित अधिकारी, 60,890 पुलिस कर्मियों और 254 न्यायिक अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया है। इसके अतिरिक्त, प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण (टीओटी) कार्यक्रम के तहत 191 मास्टर प्रशिक्षकों और 118 कर्मियों को NFSU, गांधीनगर में प्रशिक्षित किया गया है। जम्मू-कश्मीर पुलिस iGoT कर्मयोगी प्लेटफॉर्म का भी उपयोग करती है, जिसमें 50,984 कर्मी शामिल हैं, जिन्होंने 1,21,000 पाठ्यक्रम पूरे किए हैं, जिनमें नई अपराध विधियों पर 1,10,773 पाठ्यक्रम शामिल हैं।

(ग): नई अपराध विधियों के क्रियान्वयन की निगरानी के लिए मुख्य सचिव द्वारा पाक्षिक रूप से तथा प्रमुख सचिव (गृह), डीजीपी तथा शीर्ष पुलिस अधिकारियों द्वारा साप्ताहिक समीक्षा बैठकें आयोजित की जाती हैं। इनकी रिपोर्ट सरकार के आंतरिक संचलन के लिए होती है।
